

D-81

जप्ती पत्रक

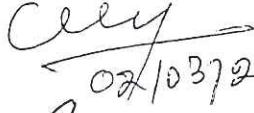
थाना	राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण एवं एन्टी करप्शन ब्यूरो, रायपुर (छ.ग.)
अपराध क्रमांक	09 / 2015
धारा	13(1)(डी) सहपठित धारा 13(2) भ्रष्टा.निवा.अधि. 1988 एवं 120-बी, 109 भा.द.वि.
दिनांक/समय एवं स्थान जप्ती	02.03.2015 के 18.00 बजे नागरिक आपूर्ति निगम मुख्यालय, अवन्तिविहार, रायपुर (छ.ग.)
किससे जप्त किया	प्रदीप कुमार सक्सेना पिता श्री नारायण प्रसाद सक्सेना, उम्र 58 वर्ष, प्रबंधक (शक्कर कक्ष), छ.ग राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, मुख्यालय रायपुर के द्वारा प्रस्तुत करने पर
जप्तीकर्ता अधिकारी	संजय देवस्थले, निरीक्षक, राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो, रायपुर (छ.ग.)
गवाह के नाम	1. श्री कै.एस.कबीरे, उप प्रबंधक(शक्कर कक्ष), छ.ग राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, मुख्यालय रायपुर 2. श्री अरविंद सिंह धुव, स्टैनो टायपिस्ट, पी.डी.एस. कक्ष, छ.ग राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, मुख्यालय रायपुर

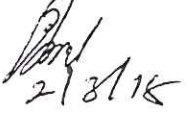
विवरण - शक्कर कक्ष के निम्नलिखित दस्तावेज :-

1. फ्री-सेल शक्कर परिवहन आदेश, नस्ती क्रमांक 01, वर्ष 2013-14/2014-15 की नस्ती जिसमें नोटशीट 01-70 तक तथा पत्राचार 01 से 202 तक हैं।

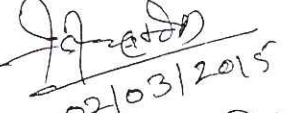
उपरोक्त दस्तावेज को श्री प्रदीप कुमार सक्सेना द्वारा प्रस्तुत करने पर जप्त कर कब्जे में लिया गया।

हस्ताक्षर गवाह

1.  02/03/2015

2.  21/3/15

हस्ताक्षर जिससे जप्त किया गया

 02/03/2015

जप्त किया गया

 21/3/15

हस्ताक्षर 02/03/15

जप्तीकर्ता अधिकारी

संस्थापक प्रति

(एस.डी.देवस्थले)

निरीक्षक इ.ओ.डब्ल्यू. एस.सी.

रायपुर (छ.ग.)